Pol.sc

B.A. Part III Political Thought   Paper 6th

Kautilya Concept of Kingship

कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। कौटिल्य के अनुसार शासन की सफलता राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करता है। श्री बी०पी० सिन्हा के अनुसार "यह स्पष्ट है कि कौटिल्य की शासन प्रणाली में राजा शासन तंत्र की धुरी है, और शासन के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने का कार्य करता है। स्वयं कौटिल्य ने कहा था कि "यदि राजा सम्पन्न हो तो उसकी स्मृति में प्रजा भी सम्पन्न होती है, राजा का जो शील हो वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और उत्थानशील हो तो प्रजा में भी गुण आ जाते हैं, यदि राजा प्रमादी हो तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है अतः राज्य में केन्द्रभूत राजा ही है"।

राजा के लिए आवश्यक गुण :— कौटिल्य ने राजा की कल्पना एक आदर्श व्यक्ति के रूप में की है, वह राजा को राजर्षि (King Philosopher) मानता है जो Plato के दार्शनिक शासक से कम नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक है, "वह ऊँचे कुल का हो उसमें दैवि बुद्धि और शक्ति हो, वह वृद्धजनों की बात सुनने वाला हो, धार्मिक हो, सत्य भाषण करने वाला हो परस्पर विरोधी बाते न करे, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य बहुत ऊँचा हो, उसमें उत्साह अधिक हो, सामन्त राजाओं को अपने वश में करने में वह समर्थ हो, उसकी परिषद छोटी न हो वह और वह नियंत्रण का पालन करने वाला हो"।

राजा की शिक्षा :— कौटिल्य के अनुसार शिक्षा के द्वारा राजा उपर्युक्त गुणों की प्राप्ति कर सकता है। अतः राजा के लिए शिक्षा आवश्यक है "कौटिल्य के शब्दों में जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजा शिक्षित नहीं होते वह राजकुल बिना युद्ध आदि के स्वयं ही नष्ट हो जाता है"। कौटिल्य इस तथ्य से भी परिचित है कि सभी

गुणों से युक्त राजा सरलता से नहीं मिल सकता है। उसके अनुसार इनमें से कुछ गुण स्वभाविक होते हैं और कुछ अभ्यास से प्राप्त किए जा सकते हैं, मनुष्य के स्वभाव और चरित्र पर वंश परम्परा का प्रभाव होता है, किन्तु अभ्यास से उसमें कुछ परिवर्तन संभव हो सकता है, अभ्यास से प्राप्त गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस संबंध में कौटिल्य की विचार धारा प्लेटो से समान है

राजा की दिन-चर्या :— राजा अपने न्यायोचित कर्तव्यों का पालन करे इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या निर्धारित की है। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उसका एक-एक क्षण कार्य में लगा हो, भोग-विलास के लिए कोई समय नहीं है। रात्रि में सोने के लिए केवल चार घण्टे की ही व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार कौटिल्य के राजा का जीवन एक तपस्वी के समान होना चाहिए।

राजा के कर्तव्य :— कौटिल्य के अनुसार राजा के निम्न-लिखित कर्तव्य हैं।

1. **प्रजा का कल्याण :—** कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना है। कौटिल्य के शब्दों में "प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है।" राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।

2. **वर्णाश्रम धर्म को बनाये रखना :—** कौटिल्य का मत है कि अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म के मार्ग से भटकने न दे। इसके साथ ही पवित्र आर्य मर्यादा में अवस्थित, वर्णाश्रम धर्म में नियमित और धर्म से रक्षित प्रजा सदा सुखी रहती है।

3. **नियुक्ति संबंधी कार्य :—** राजा प्रशासन का प्रधान होता है। वह अमात्य सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इसके साथ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं उनकी पदोन्नति करता है।

4. न्यायिक कार्य :— राजा न्याय की मूर्ति होता है, राजा का निर्णय सर्वोच्च होता है। वह किसी भी मामले में अपनी मन-मानी नहीं कर सकता उसका निर्णय न्याय पर आधारित होता है। राजा अपने राज्य में निम्नलिखित न्यायालयों की स्थापना करता है।

(I) जनपद संधि न्यायालय प्रत्येक गाँव के लिए (II) दस गाँवों के लिए संग्रह न्यायालय (III) चार सौ गाँवों के लिए द्रोणमुख न्यायालय और (IV) स्थानीय न्यायालय।

राजा न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्तियों को दण्ड की व्यवस्था करता है।

5. आर्थिक कार्य :— राजा खेती (कृषि) वाणिज्य एवं उद्योग धंधों की व्यवस्था करता है। राजा राज्य में खदान, जंगलों से इमारती लकड़ी, वस्तुओं का निर्माण, जंगलों से हाथियों को प्राप्त करना अच्छी नस्ल के पशुओं को पैदा करने का प्रबंध करना भी राजा के द्वारा होता है।

6. आय-व्यय संबंधी कार्य :— राजा को आय-व्यय संबंधी हिसाब और प्रबन्धन का कार्य भी करना चाहिए, लेकिन यह कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। घाटे का बजट राज्य का विनाश करता है, और प्रजा को दरिद्र बनाता है।

7. लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य :— कौटिल्य ने राजा को लोकहित एवं सामाजिक कल्याण संबंधी भी कार्य सौंपे हैं। इसके अन्तर्गत दान देना असहाय, अनाथ, वृद्ध लोगों का पालन-पोषण की व्यवस्था करना, गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करना, जो किसान खेती नहीं कर पाते हैं उनकी जमीन को दूसरे किसान को देना। राज्य में बाँध बनवाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग बाजार, जलाशय बनवाना, यदि राज्य में सूखा (दुर्भिक्ष) के किसानों को, बीज उपलब्ध कराना, और आवश्यक हो तो धनवानों पर अधिक कर लगाकर उसको गरीबों में बाँट देना चाहिए।

8. युद्ध करना :— कौटिल्य के अनुसार युद्ध राज्य का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के "अर्थशास्त्र" का केन्द्र एक ऐसा विजिगीषु राजा है, जिसका उद्देश्य अपने भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि करना कौटिल्य राजा की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी

मापदण्ड से निश्चित करता है, कि वे राज्य की किस सीमा तक एक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरणों में से 9(नौ) अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से ही संबंध रखते हैं। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने कर्तव्यों का पालन लोकहित की भावना से ही किया जाना चाहिए।

क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है ?

कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में राजतंत्र (King ship) को ही एकमात्र शासन व्यवस्था को श्रेष्ठ माना है। और राज्य के सात अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। राजा को अपार शक्तियां प्राप्त हैं। किन्तु राजा सर्वोच्च शक्तिमान होते हुए भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिसके कारण वह मनमानी नहीं कर सकता। राजा के ऊपर निम्न प्रकार के प्रतिबंध हैं।

1. शिक्षा :— शिक्षा पर कौटिल्य अधिक बल देता है। कौटिल्य का राजा सर्वगुण सम्पन्न है, स्वभाव से ही वह निरंकुश नहीं हो सकता। शिक्षा पर बल देकर ऐसे संस्कार डाले हैं कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में लगा रहे।

2. कठोर दिनचर्या :— कौटिल्य ने राजा के लिए एक ऐसी व्यस्त और कठोर दिनचर्या का चित्र चित्रित किया है कि जो उसे निरंकुश होने का समय ही प्रदान नहीं करता।

3. वित्तीय अधिकार एवं मंत्री परिषद का नियंत्रण :— कौटिल्य के अनुसार राजा राजकोष का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं केवल जनकल्याण के लिए करता है। कौटिल्य ने प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार देकर निश्चय ही राजा को निरंकुश बनने से रोका है।

राजा की शक्ति पर मंत्री परिषद का नियंत्रण था। मंत्री परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखकर उसे निरंकुश होने से रोकता है।

अन्त में निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि राजा को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गयी हैं, फिर भी वह पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं हो सकता है। "श्री कृष्णा राव के अनुसार" "कौटिल्य का राजा अत्याचारी नहीं हो सकता चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के सुमर्यादित नियमों के अधीन रहता है"।